

४. भारत की न्यायपालिका

विधान मंडल और कार्यकारी मंडल के साथ न्यायमंडल भी शासन संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। विधान मंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं। कार्यकारी मंडल उसका कार्यान्वयन करता है तथा न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। प्रस्तुत पाठ में हम न्यायपालिका द्वारा न्यायदान कैसे किया जाता है, जिससे समाज में निहित अन्याय दूर होकर सामाजिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है; उसपर विचार करनेवाले हैं। उससे पहले न्यायदान की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी हम जानकारी लेंगे।

व्यक्ति-व्यक्ति में विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएँ, श्रद्धा, संस्कृति आदि को लेकर भिन्नता होती है। एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखने पर संघर्ष नहीं होता। परंतु मतभिन्नता बहुत अधिक बढ़ने पर संघर्ष उत्पन्न होता है और ऐसे समय उसका निष्पक्ष दृष्टि से निराकरण करने के लिए कानून का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए न्यायपालिका जैसी निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

- व्यक्ति और शासन संस्था में भी हितसंबंधों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। जब लोगों को शासन का कोई निर्णय अथवा कानून अन्यायकारक लगता है, तब वे उसके विरोध में न्यायालय में न्याय माँग सकते हैं।
- सरकार संविधान में निहित न्याय और समता इन उद्देश्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने का प्रयत्न करती है, उसी प्रकार न्यायव्यवस्था भी कुछ फैसलों द्वारा अथवा सक्रिय भूमिका लेकर सरकार को समर्थन दे सकती है। समाज के दुर्बल वर्गों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और किन्नरों (transgender) आदि समाज वर्गों को न्यायालय मुख्य प्रवाह में लाने के लिए मदद कर सकता है।
- स्वतंत्रता, समता, न्याय और लोकतंत्र के लाभ

जब साधारण मनुष्यों को मिलते हैं, तब लोकतंत्र की व्याप्ति तथा गहराई और बढ़ जाती है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है। कानून का अधिराज्य न्यायपालिका के कारण सुरक्षित रहता है। अमीर-गरीब, प्रगत-अप्रगत, स्त्री-पुरुष इन सभी के लिए कानून समान रहता है, यह न्यायदान से स्पष्ट होता है।

- न्यायदान से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है और किसी भी गुट, व्यक्ति की दमन/दबाव की नीति अथवा तानाशाही के उत्पन्न होने पर रोक लगाई जाती है।

न्याय पालिका की रचना : भारत एक संघराज्य है और प्रत्येक संघराज्य का स्वतंत्र विधान मंडल और कार्यकारी मंडल है परंतु न्यायपालिका मात्र संपूर्ण देश के लिए एक ही है। उसमें केंद्र और राज्य; ऐसा कोई स्वतंत्र विभाजन नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकात्म है। इस न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के बाद के स्तर पर उच्च न्यायालय हैं, तथा उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय और उसके पश्चात दोयम न्यायालय हैं।

न्याय रि : भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की 'मुख्य न्यायाधीश' के पद पर नियुक्ति की जाए, ऐसा संकेत/परंपरा है।

न्यायदान का कार्य किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश निर्भय रूप से न्यायदान करें, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए



भारत का उच्चतम न्यायालय-नई दिल्ली

संविधान ने निम्न प्रावधान किए हैं ।

- संविधान ने न्यायाधीशों की योग्यता की शर्तें स्पष्ट की हैं । इन पदों के लिए कुशल विधि वेत्ता, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद का अथवा वकालत का अनुभव प्राप्त व्यक्ति योग्य माना जाता है ।
- राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं । इससे राजनीतिक दबाव को दूर रख सकते हैं ।
- न्यायाधीशों को सेवा की गारंटी होती है । सामान्य कारणों से अथवा राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ६२ वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अवकाश ग्रहण करते हैं ।
- न्यायाधीशों का वेतन भारत की अर्जित निधि से दिया जाता है और उसपर संसद में चर्चा नहीं होती है ।
- न्यायाधीशों की कृति और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते । न्यायालय की अवमानना करना यह भी एक अपराध माना जाता है और उसके लिए सजा दी जाती है । इस प्रावधान के कारण न्यायाधीशों को अनुचित आलोचना से संरक्षण तो मिलता ही है, साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है ।

- संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है परंतु न्यायाधीशों को पद से हटाने का और उनपर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का अधिकार है ।

न्यायालय की स यी : न्यायालय में अगर कोई विवाद आता है, तो उसे न्यायालय द्वारा हल किया जाता है, ऐसी न्यायालय के बारे में पारंपरिक छवि है । पिछले कुछ दशकों से न्यायालय की इस छवि में परिवर्तन हुआ है और न्यायालय सक्रिय हुए हैं । इसका अर्थ है कि न्यायालय अब संविधान में निहित न्याय, समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं । समाज के दुर्बल वर्गों, महिला, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को कानून द्वारा संरक्षण देने का प्रयत्न न्यायालय द्वारा किया गया है । इसके लिए जनहित याचिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है ।

मि न्यायालय के का

- * संघराज्य के न्यायालय की भूमिका के रूप में केंद्र शासन और घटक राज्य, घटक राज्य और घटक राज्य, केंद्र शासन एवं घटक राज्य विरुद्ध अन्य घटक राज्यों के बीच के विवादों को हल करना ।
- * नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए आदेश देना ।
- * कनिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी पुनर्विचार करना ।
- * राष्ट्रपति सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पर संवैधानिक परामर्श मांगते हैं तो उन्हें सलाह देना ।



बताओ तो ?

राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्यों मांगते हैं ?

परच्छे पढ़ो और तली :

न्यायालयीन पन लोकन : उच्चतम न्यायालय पर और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है- संविधान का संरक्षण करना । संविधान देश का मौलिक कानून है, यह तुम जानते हो । इस कानून का उल्लंघन होगा या उसका विरोधी कानून संसद नहीं बना सकती । कार्यकारी मंडल की प्रत्येक नीति और कृति का संविधान से सुसंगति रखना जरूरी है । संसद का कोई कानून या कार्यकारी मंडल की किसी कृति से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कृति को असंवैधानिक अथवा गैरकानूनी मानकर उसे रद्द कर देता है । न्यायालय के इस अधिकार को पुनर्विलोकन का अधिकार कहा जाता है ।

* क्या न्यायालय को ऐसा अधिकार होना चाहिए ?

यह उहिरण िी -

न्यायालय ने चुनाव में खड़े रहनेवाले प्रत्याशियों को उनकी संपत्ति और आय तथा शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी शपथपत्र द्वारा देने के लिए कहा था । प्रत्याशियों की सही जानकारी के आधार पर मतदाता मतदान कर सके, यह उसके पीछे प्रमुख उद्देश्य था । क्या अपनी चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने का यह प्रयत्न नहीं है ?

इस संदर्भ में न्यायालय ने क्या और कोई आदेश दिए हैं ? इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयत्नशील नागरिक, सामाजिक संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपूर्ण जनता की ओर से न्यायालय में जो याचिका दायर की जाती है, उसे 'जनहित याचिका' कहा जाता है । न्यायालय इस पर विचार करके निर्णय देता है ।

न्यायालय : भारतीय संघ शासन में निहित प्रत्येक घटक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को दिया गया है । वर्तमान समय में अपने देश में २४ उच्च न्यायालय हैं ।

उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं ।

राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ।



करके देखो-

मुंबई उच्च न्यायालय दो राज्यों- महाराष्ट्र और गोआ तथा दादरा नगर हवेली और दीव- दमण केंद्रशासित प्रदेशों के लिए है । एक से अधिक राज्यों के लिए कार्यरत उच्च न्यायालय के और दो उदाहरण ढूँढो ।

न्यायालय के का

- * अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का और देखरेख का अधिकार ।
- * मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश देने का अधिकार ।
- * जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं ।

तरला और अधीनस्थ न्यायालय : जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों से लोगों का हमेशा संबंध आता है । प्रत्येक जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश होता है ।

भार की कानून की शािँ : कानून पद्धति की दो प्रमुख शाखाएँ हैं ।

(१) दीवानी कानून (२) फौजदारी (आपराधिक) कानून

ीवानी कानून : लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद इस कानून के अंतर्गत आते हैं ।

उदा., जमीन से संबंधित विवाद, भाड़ा पट्टा, विवाह विच्छेद आदि । संबंधित न्यायालयों में याचिका दायर करने के बाद न्यायालय उसपर निर्णय देता है ।

फौजदारी (आपराधिक) कानून : फौजदारी कानून के सहारे गंभीर स्वरूप के अपराधों को हल किया जाता है । उदा., चोरी, डकैती, दहेज के लिए शारीरिक यातनाएँ देना, हत्या आदि । इन अपराधों के लिए सबसे पहले पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज किया जाता है । पुलिस उसकी जाँच करती है । उसके बाद अदालत में मुकदमा

दायर होता है । अपराध सिद्ध होने पर सजा का स्वरूप गंभीर रहता है ।

भारतीय न्याय व्यवस्था का देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है । सामान्य लोगों में भी न्यायपालिका के प्रति आदर और विश्वास की भावना है । भारत की न्यायपालिका ने व्यक्ति स्वतंत्रता, संघराज्य और संविधान की रक्षा की है । भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में न्यायालय का बड़ा योगदान है ।

सी ध

१. धन्य धकिलप से उधति धकिलप णिकर णि धफ़ से धखि ।

(१) कानून की निर्मिति द्वारा की जाती है ।

- (अ) विधान मंडल (ब) मंत्रिमंडल
(क) न्यायपालिका (ड) कार्यकारी मंडल

(२) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं ।

- (अ) प्रधानमंत्री (ब) राष्ट्रपति
(क) गृहमंत्री (ड) मुख्य न्यायाधीश

२. धन्य संकल्पनाएँ सम करो ।

- (१) न्यायालयीन पुनर्विलोकन
(२) जनहित याचिका

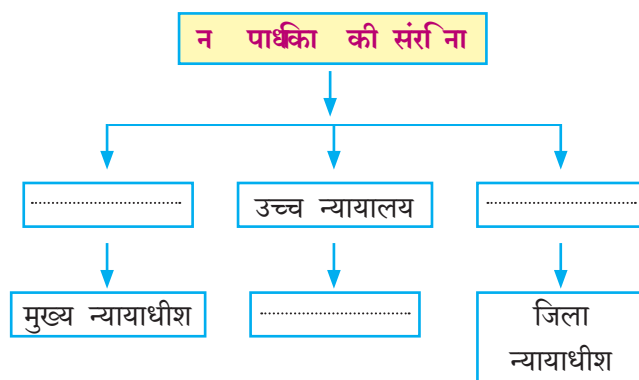
३. धपिपणी धखि ।

- (१) दीवानी और फौजदारी कानून
(२) न्यायालयीन सक्रियता

४. धन्य न के उत्तर ेप धखि ।

- (१) समाज में कानून की आवश्यकता क्यों होती है ?
(२) उच्चतम न्यायालय के कार्य स्पष्ट कीजिए ।
(३) भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कौन-से प्रावधान किए गए हैं ?

५. धन्य सासणी पूण करो ।



उपक्रम

(१) तुम्हारे स्कूल में 'अभिरूप न्यायालय' का आयोजन करके विविध जनहित याचिकाओं के प्रश्न तैयार करो और अभिरूप न्यायालय में पूछो ।

(२) अध्यापकों की मदद से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) कैसे दर्ज करें, उसकी प्रक्रिया नजदीकी पुलिस थाने में जाकर समझो ।

